न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बलिया

जी.आर– 2277/13

06/09/2019 अभियुक्त अमित कुमार की ओर से आत्म्समर्पण हुआ जमानत का एक आवेदन पत्र के साथ विद्वान अधिवक्ता का नया वकालत और अभियुक्त की हाजरी दाखिल है। पुकार पर अभियुक्त उपस्थित हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। चुंकि अभिलेख पूर्व में प्रतिलिपि हेतु था जब अभियुक्त के नहीं आने के चलते जमानत खारिज हुआ था। आज तिथि है विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अभियुक्त को पुलिस प्रति दी गई और आरोप के बिंदू पर सुनते हुए धारा– 379, 411 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप गठन कर जिसे हिंदी में समझाया गया जिसे अभियुक्तम इंकार करता है और विचारण की मांग करता है।

तत्पश्चात जमानत आवेदन पर उभयपक्षों को सुना गया दिनांक– 24/08/2017 को इस अभियुक्त का जमानत निरस्त हुआ। दिये हुए आवेदन के अनुसार विद्वान अधिवक्त का कहना है कि अभियुक्त निर्दोश है इस पर लगाए गए सभी आरोप मनगढंत है यहां के अलावे कही भी जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है उनका यह यह भी कहना है कि अभिलेख बेगूसराय से बलिया स्थानांतरण होकर आया और उसमें अभियुक्त को नहीं पता चल पाया और इसका जमानत निरस्त हो गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पश्ट है कि यह अभिलेख दिनांक– 20/05/2017 को बलिया अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में आया है। दिनांक– 24/08/2017 को अभियुक्त का जमानत निरस्त कर दिया गया। यह बात सही है कि पूर्णरूपेन कंप्यूटराईजड सिस्टम नहीं होने पर अभियुक्त को उसके अभिलेख का स्थानांतरण उसके तिथि की जानकारी होना बहुत ही मुश्किल है अतः यह न्यायहित में प्रतीत होता है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाएं। विद्वान अभियोजन पदाधिकारी ने इसका विरोध किया अभियुक्त को मो0 5000 (पॉच हजार रूपया) के दो जमानत सह मुचलका पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है तथा इस पर 300 (तीन सौ रूपया) कॉस्ट भी लगाया जाता है जो कि बिना वापसी होगा और बिहार सरकार को देय होगा।

तत्तपश्चात् दिये हुए आदेशानुसार बेल बॉण्ड दाखिल किया गया इसे स्वीकृत किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से छोड़ा जाए। अगली तिथि दिनांक–..... अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करें।

लेखापित

न्यायिक दंडाधिकारी